



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी पप्पल को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 माह के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2006 में अभियुक्त मौ० पप्पल पुत्र मौ० वसीर निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 171/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.01.2025 को मा० न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पप्पल को दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 04.01.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 853/24 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 849/24 धारा 305(a)/331(4) बी.एन.एस., मु0अ0सं0 837/24 धारा 305(a) बी.एन.एस. व मु0अ0सं0 712/24 धारा 304(2) बी.एन.एस थाना कोतवाली शामली की विभिन्न चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल 01 अवैध तमंचा .315 मय 01 जिन्दा कारतूस 01 अवैध चाकू तथा जिनकी निशांदाही से 02 कुण्डल, 02 चैन, 02 लॉग, 01 लॉकेट, 06 चूड़ी (पीली धातु), 01 कमर बंद, 08 बिछुआ, 05 पाजेव, 01 कंगन, 05 सिक्के (सफेद धातु) 01 झुमका, 03 नोज पिन (आर्टीफीशियल), 01 पासबुक डाकघर, 02 सीसीटीवी कैमरे, 01 डीवीआर, 01 एलईडी, 01 मोबाईल फोन की-पैड नोकिया व 1,13,850 रुपये नगद बरामद।

1.दिनांक

24.12.24 को
थाना बड़ौत पर
वादी द्वारा अर्पित
पुत्र मनोज
निवासी मौहल्ला
पट्टी चौधरान
कस्बा बड़ौत ने
लिखित तहरीर दी
कि अज्ञात चोरों



द्वारा उसके बन्द मकान का ताला तोड़कर नगदी तथा कीमती आभूषण चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 853/24 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 20.12.2024 को थाना बड़ौत पर वादी अंकित पुत्र महेश चन्द निवासी जैन गली कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके सारंग मण्डप बिजरौल रोड पर समरसेबिल के गोदाम का जाल काटकर डीवीआर, एलईडी व कैमरे आदि सामान चोरी कर लिया गया है इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 849/24 धारा 305(a)/331(4) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

3-दिनांक 12.12.24 को थाना बड़ौत पर वादी आजाद पुत्र स्व0 हरिराम सिंह निवासी मौजिजाबाद थाना दोघट हाल पता आदर्श नगर कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके मकान से 80 हजार रुपये, 01 मोबाइल फोन नोकिया की पैड, आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 837/24 धारा 305(a) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

4.. दिनांक 24.12.24 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के ग्राम बलवा के बाहर अभियुक्तों द्वारा गोबर पाथने वाली महिला से कुण्डल छीन लिये गये थे । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद शामली पर मु0अ0सं0 712/24 धारा 304(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 853/24 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 849/24 धारा 305(a)/331(4) बी.एन.एस, मु0अ0सं0 837/24 धारा 305(a) बी.एन.एस व मु0अ0सं0 712/24 धार 304(2) बी.एन.एस थाना कोतवाली शामली की विभिन्न चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल 01 अवैध तमचा .315 मय 01 जन्दा कारतूस 01 अवैध चाकू तथा जिनका नशादहा सं 02

कुण्डल, 02 चैन, 02 लोंग, 01 लॉकेट, 06 चूड़ी (पीली धातु), 01 कमर बंद , 08 बिछुआ, 05 पाजेव , 01 कंगन, 05 सिक्के (सफेद धातु) 01 झुमका, 03 नोज पिन (आर्टीफीशियल), 01 पासबुक डाकघर, 02 सीसीटीवी कैमरे, 01 डीवीआर, 01 एलईडी, 01 मोबाईल फोन की-पैड नोकिया व 1,13,850 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.आमिर पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 पसांरियान कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.शहजाद पुत्र इलियास निवासी मौ0 पसांरियान कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटरसाइकिल 01 अवैध तमंचा .315 मय 01 जिन्दा कारतूस 01 अवैध चाकू
- जिनकी निशांदेही से 02 कुण्डल, 02 चैन, 02 लोंग, 01 लॉकेट, 06 चूड़ी (पीली धातु), 01 कमर बंद , 08 बिछुआ, 05 पाजेव , 01 कंगन, 05 सिक्के (सफेद धातु) 01 झुमका, 03 नोज पिन (आर्टीफीशियल), 01 पासबुक डाकघर, 02 सीसीटीवी कैमरे, 01 डीवीआर, 01 एलईडी, 01 मोबाईल फोन की-पैड नोकिया व 1,13,850 रुपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्त आमिर का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 383/16 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2-मु0अ0सं0 380/2016 धारा 2(b)(i)/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

3-मु0अ0सं0 338/16 धारा 392 भादवि थाना कांधला जनपद शामिली ।

4-मु0अ0सं0 610/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिली ।

5-मु0अ0सं0 616/2021 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामिली ।

6- मु0अ0सं0 853/24 धार 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

7- मु0अ0सं0 849/24 धार 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

8- मु0अ0सं0 837/24 धार 305(a) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

9- मु0अ0सं0 712/24 धार 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 853/24 धार 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

2- मु0अ0सं0 849/24 धार 305(a)/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

3- मु0अ0सं0 837/24 धार 305(a) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपता।

4- मु0अ0सं0 712/24 धार 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत बागपता।

2-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपता।

3-उ0नि0 श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बडौत जनपद बागपता।

4-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपता।

5-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपता।

6-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।

7- का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 04.01.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस में
वांछित 5000 रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.12.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री राजेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अंकुर पलडिया निवासी गुराना रोड करबा व थाना बडौत, 2.अभिषेक निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बडौत,3.शिवा व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथी



अक्षय व उसके दोस्त शुभम व जितेन्द्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसमें उनके पैर में गोली लग गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 815/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस में वांछित 5000 रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त देव राणा पुत्र सतीश राणा निवासी मौ० सूर्यनगर गली न०-०१ बिनौली फाटक कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा उपरोक्त अभियुक्त में अब तक थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक ११-१२-२०२४ को एक अभियुक्त अभिषेक पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बडौत जनपद बागपत को व दिनांक २७.१२.२०२४ को अभियुक्त शिवा पुत्र सुशील कुमार निवासी सूर्यनगर कविनगर रोहटा रोड़ मेरठ थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देव राणा पुत्र सतीश राणा निवासी मौ० सूर्यनगर गली न०-०१ बिनौली फाटक कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- १- उ०नि० श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।
- २- उ०नि० यूटी श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- ३- है०का० ३१६ नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- ४- है०का० २२६ धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक ०४.०१.२०२५

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० ४५४/२४ धारा १०३(१)/२३८/३(५) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित ०२ अभियुक्तों सहित ०२ अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक

31.12.2024 को
थाना खेकड़ा पर
वादी श्री धीर सिंह
पुत्र बेदराज सिंह
निवासी छुर थाना
सरधना जनपद



मेरठ ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 29.12.24 को उसका पुत्र हिमांशु उर्फ छोटू अपने मामा के गाँव बसी आया हुआ था। जिसकी अभियुक्तों 1. संदीप उर्फ बिट्टू 2. अक्षय फौजी पुत्रगण ओमकार 3. चिन्टू पुत्र कवंरपाल उर्फ कल्लू निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी है तथा शव को हिन्दन नदी में फेंक दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में प्रकाश में आये 02 वांछित अभियुक्तों सहित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाहीकी जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1- योगेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र दयाराम 2- ओमकार पुत्र दयाराम व 02 महिलाओं निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. योगेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र दयाराम निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. ओमकार पुत्र दयाराम निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3- 02 महिला

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त अक्षय की पत्नी के मृतक हिमांशु उर्फ छोटू से अवैध सम्बन्ध थे। जिसके चलते अभियुक्तों द्वारा योजना बनाकर मृतक हिमांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर थी तथा शव हिंडन नदी में फेंक दिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री कैलास चन्द शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. म०उ०नि० यूटी करिश्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. है०का० 652 मोहित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. का० 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
5. का० 83 शुभम राणा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
6. म०का० 47 आभा थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 04.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा हत्याकांड से संबंधित 25 हजार के ईनामी अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली के मस्कन पर चल/अचल सम्पत्ति की उदघोषणा का नोटिस मा० न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 84 BNSS का चरपा किया गया ।

कार्यवाही-

दिनांक 28.10.2024
को थाना चांदीनगर
पर पंजीकृत
मु0अ0सं0
210/2024 धारा
103(1)/109/61(2)
बीएनएस में वांछित व
25,000 रुपये के
ईनामिया अभियुक्त
अक्षय कुमार पुत्र
ओमपाल निवासी
ग्राम किवाना थाना
कांधला जनपद
शामली के विरुद्ध



थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न होने पर नियमानुसार मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद बागपत से जारी अन्तर्गत धारा 84 BNSS का नोटिस मस्कन पर चल/अचल सम्पत्ति की उदघोषणा करते हुये चरपा किया गया ।

नोट:- नामित अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।

अभियुक्त अक्षय कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.स 232/16 धारा 307 भादवि चालानी थाना कांधला जनपद शामली ।
2. मु.अ.स 357/2016 धारा 174A भादवि चालानी थाना कांधला जनपद शामली ।
3. मु.अ.स 477/2016 धारा 307,386,506 भादवि चालानी थाना कांधला जनपद शामली ।
4. मु.अ.स 648/2016 धारा 307 भादवि चालानी थाना शामली जनपद शामली ।
5. मु.अ.स 712/2016 धारा 307,414,465 भादाव थाना शामला जनपद शामला ।

6.मु.अ.स 713/2016 धारा 25A.ACT थाना शामिली जनपद शामिली ।

7.मु.अ.स 138/2019 धारा 25A.ACT थाना शाहपुर जनपद मु.नगर ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 04.01.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 462/24 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 462/24 धारा 137(2)/65(1) बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचना से धारा 65(1) बी.एन.एस. एवं 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विशाल पुत्र उदय निवासी ग्राम महावतपुर बावली पट्टी खोब्बा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री मधुर श्याम सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. का० 142 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. का० 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 04.01.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 01/25 धारा
191(2)/191(3)/190/103(1)/238/3(5) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.01.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री मौहम्मद इन्तजार (ग्राम चौकीदार बिनौली) पुत्र आस मौहम्मद व मय हमराही अरविन्द कुमार (ग्राम चौकीदार बिनौली) पुत्र सुभाष चन्द निवासी गण ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. रोहित पुत्र जगदेव, 2. अभिषेक पुत्र शिवकुमार, 3. राजीव पुत्र अजब सिंह निवासी गण ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत 4. कृष्ण पुत्र रामपाल निवासी



ग्राम जुँआ थाना मुहाना सोनीपत हरियाणा (पति) 5. जितेन्द्र पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम कुडाना थाना शामली जनपद शामली द्वारा एक राय होकर दराँती से 01 महिला का गला रेतकर हत्या कर दी तथा शव को जंगल में कहीं छिपा दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 01/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/238/3(5) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/238/3(5) BNS में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 15 यशविन्दर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

